

परिशिष्ट -1.1

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य के वित्तीय आंकड़े[§]

वित्तीय आंकड़े

चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के सन्दर्भ में	सीएजीआर		सीएजीआर		वार्षिक वृद्धि		वार्षिक वृद्धि		
	2011-12 से 2014-15		2015-16 से 2018-19		2018-19 से 2019-20		2019-20 से 2020-21		
	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्य	राजस्थान	
	(प्रतिशत में)								
क.	राजस्व प्राप्तियाँ	13.49	17.01	11.85	11.19	2.08	1.63	-4.56	-4.14
ख.	स्व-कर राजस्व	11.86	15.07	11.04	10.34	2.12	3.25	-4.43	1.75
ग.	कर-भिन्न राजस्व	14.75	12.98	10.88	19.40	23.38	-15.53	-35.60	-13.12
घ.	कुल व्यय	14.99	21.63	10.54	4.39	4.16	3.16	4.54	0.32
ङ.	पूँजीगत व्यय कर्जे एवं अग्रिम सहित	13.26	26.87	3.45	-29.25	-5.55	-18.21	-2.36	-7.13
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	13.28	18.75	8.89	18.06	11.97	-2.98	-1.32	4.16
छ.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर राजस्व व्यय	19.11	22.23	14.74	16.52	8.27	2.64	14.65	2.80
ज.	वेतन एवं मजदूरी	10.09	14.03	10.33	24.39	9.07	-1.45	2.27	5.20
झ.	पेंशन	12.99	17.60	15.32	23.36	10.46	1.79	6.02	8.09

§ राज्य सरकार के वित्त लेखों पर आधारित वित्तीय आंकड़े।

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ अनुच्छेद 1.4.2; पृष्ठ 9)

31 मार्च 2021 को राजस्थान सरकार की सारान्शीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं	31.03.2020 को	31.03.2021 को
आंतरिक ऋण -	2,42,077.41	2,84,788.78
ब्याज वाले बाजार ऋण	1,68,858.92	2,20,037.92
बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.08	0.05
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	15.36	12.53
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	13,823.56	12,238.80
अन्य संस्थानों से ऋण	59,379.49	52,499.48
मार्गोपाय अग्रिम	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम -	17,302.50	23,532.15
वर्ष 1984-85 से पूर्व के ऋण	5.40	5.41
गैर-आयोजना ऋण	19.46	15.55
राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	2,751.70	2,245.17
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.05	-
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	11.31	3.05
राज्य/विधानमंडल वाले केंद्र शासित राज्यों के लिए अन्य ऋण	14,514.58	21,262.97
आकस्मिकता निधि	500.00	500.00
लघु बचतें, सामान्य भविष्य निधि, इत्यादि	51,468.62	56,325.69
जमायें	33,842.46	36,713.81
आरक्षित निधियां	9,881.68	11,242.77
प्रेषण शेष	-	1.50
योग	3,55,072.67	4,13,104.70

सम्पत्तियां	31.03.2020 को	31.03.2021 को
स्थायी परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	2,02,806.46	2,18,062.87¹
कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश	52,208.91	52,784.40
अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,50,597.55	1,65,278.47
ऋण एवं अग्रिम-	9,847.92	9,965.41
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	5,641.14	5,516.08
अन्य विकासात्मक ऋण	4,208.56	4,451.19
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	(-)1.78	(-)1.86 ²
आरक्षित निधि निवेश	1,870.87	2,103.74
अग्रिम	3.21	3.17
प्रेषण शेष	10.37	-
उच्चत एवं विविध शेष	120.15	4.06

- वर्ष के अंत तक सकल पूंजीगत व्यय में से ₹ 14.08 करोड़ (पूंजीगत विनिवेश) की प्रोफोर्मा कमी के कारण वर्तमान वर्ष की पूंजीगत प्राप्तियां 'शून्य' दर्शायी गयी है।
- ऋणात्मक शेष जाँच के अधीन है।

सम्पत्तियां	31.03.2020 को	31.03.2021 को
रोकड़-	5,833.54	4,383.77
कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 26.91	(-) 80.96
रिजर्व बैंक के पास जमा	49.03	20.99
विभागीय रोकड़ शेष	0.85	0.77
स्थायी अग्रिम	2.84	2.84
रोकड़ शेष निवेश	5,807.73	4,440.13
सरकारी लेखे पर घाटा-	1,34,580.15	1,78,581.68
(i) वर्तमान वर्ष का राजस्व घाटा	36,371.29	44,001.53
(ii) आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-
(iii) वर्ष के प्रारंभ में संचित घाटा	98,208.86	1,34,580.15
घटायें: वर्तमान वर्ष का राजस्व अधिशेष	-	-
घटायें: विविध घाटा	-	-
योग	3,55,072.67	4,13,104.70

परिशिष्ट 1.2 एवं 2.1 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

पूर्व वृत्ति विवरण पत्रों में दिए गये सारान्शीकृत लेखे वित्त लेखाओं में दी गयी टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जावें। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं, सरकारी लेखों में घाटा, जैसा **परिशिष्ट 1.2** में दर्शित है, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर स्थिति प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप, देय अथवा प्राप्य मर्दे या मूल्य ह्रास अथवा स्टाक आंकड़ों में अंतर आदि जैसी मर्दे लेखाओं में दर्शित नहीं है। उच्चत तथा विविध शेषों में, जारी किन्तु भुगतान न किये गए चैक, राज्य की ओर से किये गए भुगतान तथा अन्य बकाया इत्यादि जिनका निपटान बाकी है, शामिल हैं। लेखाओं में दर्शाए आंकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “रिजर्व बैंक के पास जमा” के अंतर्गत सूचित किये गये आंकड़ों के मध्य ₹ 2.07 करोड़ (जमा) का अंतर था। आगे, ₹ 0.11 करोड़ (जमा) का अंतर अभी भी बकाया है और समायोजन के अधीन है।

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1; पृष्ठ 19)

वर्ष 2020-21 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2019-20	2020-21	संवितरण	2019-20	2020-21		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
I. राजस्व प्राप्तियाँ	1,40,113.81	1,34,307.88	I. राजस्व व्यय	1,76,485.10	1,61,561.21	16,748.20	1,78,309.41
कर राजस्व	59,244.98	60,283.44	सामान्य सेवायें	56,186.29	60,107.40	36.44	60,143.84
			सामाजिक सेवायें	68,313.23	63,185.91	10,823.68	74,009.59
कर-भिन्न राजस्व	15,714.16	13,653.02	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	33,525.28	32,091.51	2,818.68	34,910.19
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11,661.63	9,373.81	2,614.33	11,988.14
संचीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	36,049.14	35,575.77	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास	7,743.32	8,389.86	1,147.02	9,536.88
			सूचना एवं प्रसारण	90.15	147.26	-	147.26
आयोजना-भिन्न अनुदान	-	-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	1,755.18	964.34	587.18	1,551.52
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	-	-	श्रम एवं श्रम कल्याण	932.44	1,113.26	24.89	1,138.15
			समाज कल्याण एवं पोषण	12,544.64	11,046.52	3,631.58	14,678.10
			अन्य	60.59	59.35	-	59.35
केंद्र एवं केंद्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	-	-	आर्थिक सेवायें	51,985.51	38,267.83	5,888.08	44,155.91
			कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	10,315.88	11,499.48	550.99	12,050.47
			ग्रामीण विकास	12,604.64	7,118.48	4,628.05	11,746.53

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2019-20	2020-21	संवितरण	2019-20	2020-21		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
केंद्र प्रवर्तित योजनायें	14,966.05	12,595.43	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.55	0.74	0.03	0.77
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,795.35	1,994.74	2.10	1,996.84
वित्त आयोग अनुदान	7,331.55	6,236.50	उर्जा	22,749.71	14,266.71	-	14,266.71
			उद्योग एवं स्वनिज	402.04	268.47	-	268.47
राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	6,807.93	5,963.72	परिवहन	2,583.00	1,761.89	100.37	1,862.26
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	15.46	14.37	1.82	16.19
			सामान्य आर्थिक सेवायें	1,517.88	1,342.95	604.72	1,947.67
			सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	0.07	0.07	-	0.07
योग	1,40,113.81	1,34,307.88	योग	1,76,485.10	1,61,561.21	16,748.20	1,78,309.41
II. अनुभाग-ख को अग्रप्रेषित किया गया राजस्व घाटा	36,371.29	44,001.53	II. अनुभाग-ख को अग्रप्रेषित किया गया राजस्व अधिशेष	-	-	-	-
योग	1,76,485.10	1,78,309.41	योग	1,76,485.10	1,61,561.21	16,748.20	1,78,309.41
III. स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	5,793.75	7,704.41	III. भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	20.42	14.08	IV. पूंजीगत परिव्यय	14,718.05	12,482.71	2,787.78	15,270.49
			सामान्य सेवायें	463.42	321.15	77.02	398.17
			सामाजिक सेवायें	5,489.68	5,470.81	2,170.77	7,641.58
			शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	766.07	851.24	429.25	1,280.49
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	482.23	454.75	177.10	631.85

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2019-20	2020-21	संवितरण	2019-20	2020-21		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
			जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास	3,907.01	3,984.90	1,366.62	5,351.52
			सूचना एवं प्रसारण	2.11	1.06	-	1.06
			अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	222.63	72.93	180.31	253.24
			समाज कल्याण एवं पोषण	42.19	8.24	11.21	19.45
			अन्य	67.44	97.69	6.28	103.97
			आर्थिक सेवायें	8,764.95	6,690.75	539.99	7,230.74
			कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	206.59	330.56	73.87	404.43
			ग्रामीण विकास	375.04	239.15	-	239.15
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	103.22	45.13	21.60	66.73
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,289.66	2,509.48	76.69	2,586.17
			उर्जा	2,362.48	589.71	-	589.71
			उद्योग एवं स्वनिज	28.08	49.75	-	49.75
			परिवहन	3,200.80	2,638.10	366.83	3,004.93
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.78	0.28	-	0.28
			सामान्य आर्थिक सेवायें	198.30	288.59	1.00	289.59
			योग	14,718.05	12,482.71	2,787.78	15,270.49
V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां	15,669.75	373.52	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	2,255.18	-	-	491.01

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2019-20	2020-21	संवितरण	2019-20	2020-21		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
विद्युत परियोजनाओं से	14,879.91	171.74	विद्युत परियोजनाओं के लिये	1,844.38	-	-	46.68
सरकारी कर्मचारियों से	0.76	0.08	सरकारी कर्मचारियों को	-	-	-	-
अन्यों से	789.08	201.70	अन्यों को	410.80	-	-	444.33
VI. अधोनित राजस्व अधिशेष	-	-	VI. अधोनित राजस्व घाटा	36,371.29			44,001.53
VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ	46,173.72	89,964.01	VII. लोक ऋण पुनर्भुगतान	20,032.69	-	-	41,022.99
बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अलावा आंतरिक ऋण	41,964.36	82,827.84	अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अलावा आंतरिक ऋण	19,198.43	-	-	40,116.47
मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	4,209.36	7,136.17	भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	834.26			906.52
VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-
IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	-	-	IX. आकस्मिकता निधि से व्यय	-	-	-	-
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,93,165.05	2,08,446.75	X. लोक लेखा संवितरण	1,79,741.07	-	-	1,99,229.24

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2019-20	2020-21	संवितरण	2019-20	2020-21		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	12,203.83	13,705.60	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	8,213.29	-	-	8,848.53
आरक्षित निधियां	7,692.20	6,227.67	आरक्षित निधियां	3,361.89	-	-	4,866.58
उच्चत एवं विविध	115.23	107.40	उच्चत एवं विविध	28.73	-	-	(-) 8.69
प्रेषण	3,753.05	7,750.02	प्रेषण	3,761.37	-	-	7,738.15
जमा एवं अग्रिम	1,69,400.74	1,80,656.06	जमा एवं अग्रिम	1,64,375.79	-	-	1,77,784.67
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट	-	-	XI. अंत में रोकड़ शेष	7,704.41	-	-	6,487.51
			कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 26.91	-	-	(-) 80.96
			रिजर्व बैंक के पास जमायें	49.03	-	-	20.99
			विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	3.69	-	-	3.61
			रोकड़ शेष निवेश	5,807.73	-	-	4,440.13
			चिन्हित निवेश निधियां	1,870.87	-	-	2,103.74
योग	2,60,822.69	4,40,810.65	योग	2,60,822.69			4,40,810.65

स्रोत: वित्त लेखे।

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.2.1; पृष्ठ 23)

राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1,09,026	1,27,307	1,37,873	1,40,114	1,34,308
(i) कर राजस्व	44,372(41)	50,605(40)	57,380(42)	59,245(42)	60,283(45)
कृषि आय पर कर	- ³	- ³	- ³	- ³	- ³
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	12,137(24)	22,938(40)	21,954(37)	20,755(34)
विक्री, व्यापार आदि पर कर	28,558(64)	19,008(38)	14,791(26)	15,843(27)	17,479(29)
राज्य उत्पाद शुल्क	7,054(16)	7,276(14)	8,694(15)	9,592(16)	9,853(16)
वाहनों पर कर	3,623(8)	4,363(9)	4,576(8)	4,951(8)	4,368(7)
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	3,053(7)	3,675(7)	3,886(7)	4,235(7)	5,297(9)
भू-राजस्व	315(1)	364(1)	290(1)	364(1)	280(1)
वस्तु एवं यात्रियों पर कर	803(2)	341(1)	51(-)	41(-)	45(-)
अन्य कर	966(2)	3,441(7)	2,154(3)	2,265(4)	2,206(4)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	11,615(10)	15,734(12)	18,603(13)	15,714(11)	13,653(10)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	33,556(31)	37,028(29)	41,853(30)	36,049(26)	35,576(27)
(iv) भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	19,483(18)	23,940(19)	20,037(15)	29,106(21)	24,796(18)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	28	16	20	20	14
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1,713	15,134	15,158	15,670	373
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,10,767	1,42,457	1,53,051	1,55,804	1,34,695
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	43,889	28,557	37,847	46,173	89,964
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	40,434(92)	27,000(95)	35,205(93)	41,964(91)	82,828(92)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	3,455(8)	1,557(5)	2,642(7)	4,209(9)	7,136(8)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	1,54,656	1,71,014	1,90,898	2,01,977	2,24,659
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,56,045	1,56,811	1,70,528	1,93,165	2,08,447
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	3,10,701	3,27,825	3,61,426	3,95,142	4,33,106
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485	1,78,309
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	39,203(31)	43,451(30)	54,364(33)	56,186(32)	60,144(34)
सामाजिक सेवायें	49,372(39)	53,064(36)	65,687(39)	68,313(39)	74,009(41)
आर्थिक सेवायें	38,565(30)	49,327(34)	46,722(28)	51,986(29)	44,156(25)
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	- ⁴	- ⁴	- ⁴	- ⁴	- ⁴
11. पूंजीगत व्यय	16,980	20,623	19,638	14,718	15,271
सामान्य सेवायें	437(2)	527(3)	588(3)	463(3)	398(3)
सामाजिक सेवायें	6,214(37)	7,221(35)	6,913(35)	5,490(37)	7,642(50)

3. 2016-17: मात्र ₹ 202, 2017-18: ₹ 0.02 लाख, 2018-19: ₹ 0.23 लाख, 2019-20: 'शून्य' एवं 2020-21: ₹ 0.04 लाख।

4. 2016-17: ₹ 0.06 करोड़, 2017-18: ₹ 0.11 करोड़, 2018-19: ₹ 0.09 करोड़, 2019-20: ₹ 0.07 करोड़ एवं 2020-21: ₹ 0.07 करोड़।

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आर्थिक सेवायें	10,329(61)	12,875(62)	12,137(62)	8,765(60)	7,231(47)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	12,965	1,334	1,113	2,255	491
13. कुल व्यय (10+11+12)	1,57,085	1,67,799	1,87,524	1,93,458	1,94,071
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	5,015	11,674	16,915	20,032	41,023
आंतरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	4,441(89)	11,041(95)	16,137(95)	19,198(96)	40,116(98)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-
भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिम	574(11)	633(5)	778(5)	834(4)	907(2)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	1,62,100	1,79,473	2,04,439	2,13,490	2,35,094
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	1,48,886	1,47,088	1,60,570	1,79,741	1,99,229
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	3,10,986	3,26,561	3,65,009	3,93,231	4,34,323
भाग ग: घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(-) 18,114	(-) 18,535	(-) 28,900	(-) 36,371	(-) 44,001
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 46,318	(-) 25,342	(-) 34,473	(-) 37,654	(-) 59,376
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(-) 28,641	(-) 5,622	(-) 12,778	(-) 14,011	(-) 34,174
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	17,677	19,720	21,695	23,643	25,202
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	32,892	34,985	34,862	41,025	39,745
25. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	04	99
मार्गोपाय अग्रिम का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	04	99
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
26. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	0.29	13.85
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) [®]	7,60,587	8,28,661	9,21,789 ^Σ	9,98,999 [£]	9,57,912 ^{**}
28 बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अंत में)	2,55,002	2,81,182	3,11,374	3,52,702	4,10,500 [§]
29. बकाया प्रतिभूतियां (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	51,159	61,761	70,430	80,631	82,612
30 दी गयी प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि (वर्ष के अंत में)	1,18,161	1,12,057	1,31,026	1,44,676	1,56,822
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	197	247	279	329	-*
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	17,668	20,176	26,409	31,374	-*
भाग ङ: राजकोषीय स्थिति सूचक (प्रतिशतता में)					
I संसाधन गतिशीलता					
स्व-कर राजस्व/जीएसडीपी	5.8	6.1	6.2	5.9	6.3
स्व-कर-भिन्न राजस्व/जीएसडीपी	1.5	1.9	2.0	1.6	1.4
केन्द्रीय हस्तांतरण/जीएसडीपी	7.0	7.4	6.7	6.5	6.3
II व्यय प्रबंधन (प्रतिशतता में)					
कुल व्यय/जीएसडीपी	20.7	20.2	20.3	19.4	20.3
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	144.1	131.8	136.0	138.1	144.5
राजस्व व्यय/कुल व्यय	80.9	86.9	88.9	91.2	91.9
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	31.4	31.6	35.0	35.3	38.1
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	24.6	29.4	24.9	26.9	22.8
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	10.8	12.3	10.5	7.6	7.9
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	10.5	12.0	10.2	7.4	7.7
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व घाटा (अधिशेष+)/जीएसडीपी	(-) 2.4	(-) 2.2	(-) 3.1	(-) 3.6	(-) 4.6
राजकोषीय घाटा /जीएसडीपी	(-) 6.1	(-) 3.1	(-) 3.7	(-) 3.8	(-) 6.2
प्राथमिक घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(-) 3.8	(-) 0.7	(-) 1.4	(-) 1.4	(-) 3.6
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	39.1	73.1	83.8	96.6	74.1
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/जीएसडीपी	33.53	33.93	33.78	35.31	42.37⁵
राजकोषीय देयताएं /राजस्व प्राप्तियां	233.9	220.9	225.8	251.7	305.6
ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज)/ऋण प्राप्तियाँ	86.1	96.5	95.9	92.6	88.8
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिलाभ	0.2	0.1	0.1	0.1	0.01
वित्तीय परिसंपत्तियां /देयताएं	0.80	0.76	0.69	0.62	0.57

स्रोत: वित्त लेखों।

टिप्पणी: कोष्ठक में संख्या प्रत्येक उप-शीर्ष का योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करती है।

● स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, राजस्थान सरकार।

Σ संशोधित अनुमान-II, £ संशोधित अनुमान-I एवं ## अग्रिम अनुमान

* सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

⁵ प्रभावी बकाया राजकोषीय देयताएं ₹ 4,05,896 करोड़ होगी क्योंकि ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में राज्य को दी गयी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 4,604 करोड़ को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा।

5. कुल बकाया देनदारियां, ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण ₹ 4,604 करोड़ को हटाकर प्राप्त हुई है।

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.6.1; पृष्ठ 62)

ऋण की शब्दावली

मद	अर्थ क्या है
मार्गोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)	यह केन्द्र और राज्यों दोनों के लिए सुविधा है जो कि रिजर्व बैंक से उधार लेकर अपनी प्राप्तियों और व्यय के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल को सही करने में सहायता करता है। इस तरह के अग्रिमों को अग्रिम लेने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर चुकाया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ने कोविड-19 से (31 मार्च 2021 तक) निपटने के लिए मार्गोपाय अग्रिम की सीमा में 60 प्रतिशत अतिरिक्त की घोषणा की।
ओवर ड्राफ्ट	सरकारों को उनकी मार्गोपाय अग्रिम से अधिक मात्रा में राशि निकालने की अनुमति है। कोई भी राज्य एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए आरबीआई के साथ ओवर ड्राफ्ट नहीं चला सकता है। एक राज्य 14 से 21 लगातार कार्य दिवसों और एक तिमाही के दौरान 36 से 50 कार्य दिवसों तक ओवर ड्राफ्ट में रह सकता है।
सरकारी प्रतिभूतियाँ	एक सरकारी प्रतिभूति (सेक्शन-जी) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक पारम्परिक साधन है। ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्प कालिक (आमतौर पर एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के साथ ट्रेजरी बिल कहा जाता है) या दीर्घकालिक ((आमतौर पर एक वर्ष या अधिक की मूल परिपक्वता के साथ सरकारी बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है) होती है। भारत में केंद्र सरकार, ट्रेजरी बिल और बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों को जारी करती है, जबकि राज्य सरकार केवल बांड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती है, जिन्हें राज्य विकास ऋण (एसडीएल) कहा जाता है।
टी-बिल	ट्रेजरी बिल केन्द्र सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक प्रतिभूतियाँ है। उनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष तक होती है। इन प्रतिभूतियों को छूट पर बेचा जा सकता है और इसका भुगतान अंकित मूल्य पर किया जाता है, जिससे निवेशक अपना पैसा बनाते हैं। वर्तमान में 91 दिनों के टी-बिल, 182 दिनों के टी-बिल और 364 दिनों के टी-बिल सक्रिय हैं।
टी-नोट्स	ट्रेजरी नोट्स ट्रेजरी बिलों की तुलना में लम्बी परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियाँ है। उनकी परिपक्वता अवधि दो, तीन, पाँच, सात और 10 वर्ष हो सकती है। ब्याज का भुगतान हर छः माह में किया जाता है।
टी-बांड	ट्रेजरी बाण्ड 30 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ दीर्घकालिक निवेश है। ब्याज का भुगतान हर छः माह में किया जाता है।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 79)

बजट संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

1. वर्ष के 'लेखे' या 'वास्तविक' – 1 अप्रैल से शुरू होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की राशियाँ हैं, जो अन्तिम रूप से लेखा प्राधिकारी की पुस्तकों में दर्ज की गई हैं (जैसा कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित हैं)। अनंतिम लेखों से तात्पर्य अनअंकित लेखों से है।
2. योजना, प्रस्ताव या कार्य की 'प्रशासनिक स्वीकृति' -व्यय के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई औपचारिक स्वीकृति है। बजट में निधियों के प्रावधान के साथ लिया गया, यह उस विशेष वर्ष के दौरान कार्य के लिये वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।
3. 'वार्षिक वित्तीय विवरण'- जिसे बजट के रूप में भी जाना जाता है, का मतलब संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा गया प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है।
4. 'विनियोग'- का अर्थ है संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि जो विनियोग की विभिन्न प्राथमिक इकाईयों या उसके हिस्से के अन्तर्गत व्यय के लिए संवितरण अधिकारी को प्रदान की जाती है।
5. 'प्रभारित व्यय'- का अर्थ है कि ऐसा व्यय जो संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमंडल के मत हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
6. 'भारत/राज्य की समेकित निधि'- संघ/राज्य सरकार के सभी राजस्व, इसके द्वारा एकत्र किये गये ऋण और भारत/राज्य की समेकित निधि से दिये गए ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु प्राप्त समस्त राशियाँ संघ/राज्य की समेकित निधि की रचना करती हैं। इस कोष से राशि को कानून के अनुसार और संविधान में दिए गए तरीके के अलावा विनियोजित नहीं किया जा सकता है।
7. 'आकस्मिकता निधि'- एक अग्रदाय/पेशगी की प्रकृति के रूप में है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य कार्यपालिका/सरकार को वर्ष के दौरान ऐसे अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिये अग्रिम देना है जिनका संसद/विधानसभा द्वारा प्राधिकृतिकरण लम्बित है। आकस्मिकता निधि से आहरित राशि की अनुपूरक मांग के माध्यम से संसद/विधानसभा के अनुमोदन के पश्चात प्रतिपूर्ति की जाती है।
8. 'नियंत्रण अधिकारी (बजट) '- का अर्थ है ऐसा अधिकारी जिसे विभाग द्वारा व्यय को नियंत्रित करने और/या राजस्व के संग्रह की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल हैं।
9. 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी' (डी.डी.ओ)-का अर्थ है कार्यालयाध्यक्ष तथा किसी भी अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बिलों के आहरण तथा राज्य सरकार की ओर से भुगतान करने हेतु नामित किया गया है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष भी शामिल होगा जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।
10. 'आधिक्य अनुदान' – आधिक्य अनुदान का अर्थ है कि मूल/अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत किये गये प्रावधान से अधिक और ज्यादा व्यय की राशि, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के अन्तर्गत संसद/विधानसभा के द्वारा नियमन की आवश्यकता होती है।

11. 'नई सेवा'- संविधान के अनुच्छेद 115 (1) (अ)/ 205 (1)(अ) के अनुसार नई सेवा का अर्थ है एक नई गतिविधि या निवेश के नये रूप सहित एक नवीन नीतिगत निर्णय से उत्पन्न होने वाला ऐसा व्यय जिसे पूर्व में संसद/ विधानसभा के संज्ञान में नहीं लाया गया।
12. 'सेवा का नया साधन' – का अर्थ है कि मौजूदा गतिविधि में महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाले अपेक्षाकृत अधिक व्यय से है।
13. 'लोक लेखा'- का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 266(2) में संदर्भित लोक लेखा से है। प्राप्तियां और संवितरण जैसे कि जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती, लोक लेखा में शामिल होती है। लोक लेखा से संवितरण संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है, क्योंकि वे भारत/राज्य की समेकित निधि से जारी किया गया धन नहीं हैं।
14. 'पुनर्विनियोजन'- का अर्थ किसी अनुदान/प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ प्रत्याशित बचत है से दूसरी इकाई के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्तान्तरण से है।
15. 'संशोधित अनुमान'- एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का वह अनुमान है जो उस वर्ष के दौरान पहले से दर्ज किये गए लेन देनों और पहले से जारी आदेशों के अनुसरण में शेष वर्ष के लिए पूर्वानुमान के सन्दर्भ में संरचित किया जाता है।
16. 'अनुदानों के लिए अनुपूरक माँग'- का अर्थ विधायिका के समक्ष रखी गई अनुपूरक माँगों से है जिसमें उस वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से ज्यादा और अधिक आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि दिखाई जाती है। अनुपूरक की माँग टोकन, तकनीकी या मूल/नगदी हो सकती है।
 - अ) नगद अनुपूरक मूल बजट प्रावधानों से अधिक और ज्यादा है तथा माँग/अनुदान के लिए आवंटन में वृद्धि का परिणाम है। इसे अन्तिम उपाय के रूप में और यथोचित परिश्रम के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में, इस पद्धति का अनुसरण राज्य द्वारा किया जाता है।
 - ब) प्रत्येक माँग के चार खण्ड होते हैं अर्थात् राजस्व दत्तमत, राजस्व प्राभरित, पूंजीगत दत्तमत और पूंजीगत प्रभारित। तकनीकी अनुपूरक राज्य विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, किसी भी अन्य खण्ड/अनुभाग के लिए किसी एक खण्ड/अनुभाग की बचत का उपयोग करने की अनुमति देता है।
 - स) टोकन अनुपूरक अनुदान के उसी खण्ड के तहत बचत के उपयोग की अनुमति देता है।
17. 'मुख्य शीर्ष'- राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों को दर्ज करने और वर्गीकृत करने के उद्देश्य के लिए एक मुख्य खाता है। एक मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के तहत आने वाला, सामान्यतः सरकार के किसी एक कार्यकलाप जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए होता है।
18. 'उप-मुख्य शीर्ष'- का अर्थ एक मुख्य शीर्ष और उसके नीचे लघु शीर्ष के बीच दर्शाये गये मध्यवर्ती लेखाशीर्ष से है, जब लघु शीर्ष अधिक होते हैं तो उन्हें इस मध्यवर्ती लेखाशीर्ष के अन्तर्गत आसानी से एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है।
19. 'लघु शीर्ष'- का अर्थ एक प्रमुख शीर्ष या एक उप प्रमुख शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा दर्शाये गये कार्यकलाप के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम की पहचान करता है।

20. 'उप-शीर्ष'- का अर्थ लघु शीर्ष के अधीन अगले लेखे की इकाई है जो सामान्यतया लघु शीर्ष या कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना या संगठन को दर्शाती है।
21. 'मुख्य कार्य'- का अर्थ मूल कार्य जिसकी अनुमानित लागत, विभागीय शुल्कों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक होती है।
22. 'लघु कार्य'- का अर्थ मूल कार्य जिसकी अनुमानित लागत, विभागीय शुल्कों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होती है।
23. 'संशोधित अनुदान या विनियोग'- का अर्थ किसी विनियोग के उप-शीर्ष को आवंटित राशि जो कि पुनर्विनियोजन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त स्वीकृत या अनुपूरक अनुदान की स्वीकृति के बाद प्राप्त होती है।
24. 'अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग'- का अर्थ उस वर्ष के विनियोग अधिनियम में पूर्व में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग विधेयक में शामिल प्रावधान से है।
25. 'नये व्यय की अनुसूची'- का अर्थ नये व्यय हेतु आगामी वर्ष के बजट में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित मदों का विवरण है।
26. 'टोकन मांग'- का अर्थ विधानसभा से मांग की गई एक मामूली या टोकन राशि से है जो उदाहरण के लिये स्वीकृत बजट अनुदान में बचत से नयी सेवा पर सम्पूर्ण व्यय को पूरा करने के लिये प्रस्तावित है।
27. 'सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर'- ब्याज भुगतान/ [(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि/2)]*100

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 84)

निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य(+) बचत (-)
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
निधियों का अपर्याप्त पुनर्विनियोजन								
1	9-वन	2406-01-001-02 अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध	511.20	0	(-) 38.62	472.58	471.21	(-) 1.37
2	21-सड़क एवं पुल	5054-03-337-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-I (ए डी बी)	295.85	0	(+) 90.09	385.94	392.25	(+) 6.31
3	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-02-114-09-01 बाढ़	40.00	210.00	(-) 7.04	242.96	216.40	(-) 26.56
4		2245-02-114-09-02 ओलावृष्टि	60.00	177.50	(-) 140.26	97.24	95.57	(-) 1.67
5	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	4403-101-15-01 निर्माण कार्य	₹ 1000	16.80	(-) 10.80	6.00	-	(-) 6.00
6		4403-101-16-01 निर्माण कार्य	₹ 1000	0	(+) 14.00	14.00	20.00	(+) 6.00
7	46-सिंचाई	2700-39-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	12.56	0	(+) 1.21	13.77	12.11	(-) 1.66
8		4700-80-001-01-01 राजस्थान वाटर सेक्टर री- स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया	263.33	0	(-) 137.84	125.49	124.41	(-) 1.08
9		4700-32-001-01-01 निर्माण कार्य	557.57	0	(+) 109.13	666.70	646.50	(-) 20.20
10		4700-39-001-01-01 निर्माण कार्य	119.00	0	(+) 35.85	154.85	111.64	(-) 43.21
11		4702-101-02-02 निर्माण कार्य	86.67	0	(+) 3.59	90.26	85.73	(-) 4.53
12	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2202-02-107-05-02 प्री-मेट्रिक छात्रवृत्तियां	85.80	0	(-) 10.55	75.25	73.62	(-) 1.63
13		4700-32-789-01 निर्माण कार्य	160.88	0	(-) 29.60	131.28	129.31	(-) 1.97

क्र. सं	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य(+) वचत (-)
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन								
14	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4217-60-050-03 राजरथान अरबन सेक्टर प्रोग्राम (आरयूएसडीआईपी) आरयूआईडीपी द्वितीय चरण (ईएपी)निर्माण कार्य	₹ 1,000	0	(+) 2.58	2.58	(-) 2.74	(-) 5.32
निधियों का अत्यधिक पुनर्विनियोजन								
15	16-पुलिस	2055-109-10-04 यातायात पुलिस -प्रतिबद्ध	124.36	0	(+) 17.02	141.38	128.80	(-) 12.58
16	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-02-107-07 अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को प्री-मेट्रिक छात्रवृत्तियां	35.00	0	(+) 29.20	64.20	63.16	(-) 1.04
17	27-पेय जल योजना	4215-01-102-03-01 अन्य ग्रामीण जलापूर्ति योजनायें	375.42	0	(+) 80.25	455.66	454.57	(-) 1.09
18	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-02-107-06-02 प्री-मेट्रिक छात्रवृत्तियां	71.89	0	(+) 9.69	81.58	79.53	(-) 2.05
19	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-02-106-08-01 सडकों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना	50.00	150.00	(-) 79.92	120.08	114.16	(-) 5.92

स्रोत: विनियोग लेखें

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 85)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचतें कुल प्रावधानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक रही

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संख्या एवं अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक	बचतें	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण के अलावा बचतें
राजस्व प्रभारित								
1	2049-ब्याज अदायगियां	25,494.20	₹ 52,000	25,494.20	25,201.81	292.39	284.81	(-) 7.58
राजस्व दत्तमत								
2	6-न्याय प्रशासन	1,123.56	0	1,123.56	1,020.19	103.37	102.99	(-) 0.38
3	8-राजस्व	884.87	0	884.87	741.74	143.13	142.97	(-) 0.16
4	9-वन	785.27	156.88	942.15	799.25	142.89	141.24	(-) 1.65
5	10-विविध सामान्य सेवाएं	556.13	0	556.13	440.52	115.61	115.61	0
6	12-अन्य कर	860.58	0	860.58	708.39	152.19	159.35	(+) 7.16
7	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	23,391.70	0	23,391.70	22,432.42	959.28	882.85	(-) 76.43
8	16-पुलिस	6,908.12	₹ 9,000	6,908.12	6,385.06	523.06	489.75	(-) 33.31
9	19-लोक निर्माण कार्य	563.99	₹ 1,000	563.99	437.10	126.90	127.05	(+) 0.15
10	21-सड़कें एवं पुल	2,745.23	0	2,745.23	1,557.09	1,188.14	1,285.38	(+) 97.24
11	23-श्रम तथा रोजगार	1,212.29	0	1,212.29	1,039.94	172.35	172.29	(-) 0.06
12	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	32,096.19	₹ 6,000	32,096.19	29,712.30	2,383.89	2,380.30	(-) 3.59
13	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	10,711.31	₹ 13,000	10,711.31	9,782.31	929.00	926.66	(-) 2.34
14	27-पेयजल योजना	4,137.89	₹ 2,000	4,137.89	3,735.14	402.75	394.19	(-) 8.56
15	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	5,336.72	1,088.69	6,425.41	5,047.40	1,378.01	1,377.48	(-) 0.53
16	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	13,948.89	442.05	14,390.94	13,173.56	1,217.38	1,206.38	(-) 11.0
17	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	7,303.53	1,685.35	8,988.88	8,697.86	291.02	243.12	(-) 47.9
18	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2,690.97	3,210.29	5,901.26	4,946.02	955.24	899.15	(-)56.09
19	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	522.23	0	522.23	382.97	139.26	139.25	(-)0.01
20	36-सहकारिता	3,418.20	508.05	3,926.25	3,642.18	284.07	284.05	(-)0.02
21	37-कृषि	2,699.16	815.37	3,514.53	3,158.83	355.70	352.71	(-)2.99
22	41-सामुदायिक विकास	5,656.08	946.63	6,602.71	4,432.20	2,170.52	2,170.17	(-)0.35
23	46-सिंचाई	2,260.29	₹ 5,000	2,260.29	2,062.90	197.39	166.57	(-)30.82
24	48-विद्युत	10,427.42	₹ 6,000	10,427.42	8,815.73	1,611.69	1,611.69	0
25	50-ग्रामीण रोजगार	2,289.01	₹ 1000	2,289.01	2,142.97	146.05	146.05	0

क्र. सं.	संख्या एवं अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक	बचतें	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण के अलावा बचतें
26	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	15,196.04	2,007.78	17,203.82	15,487.34	1,716.47	1,712.23	(-)4.24
पूँजीगत दत्तमत								
27	19-लोक निर्माण कार्य	1,033.73	₹ 3,000	1,033.73	468.56	565.17	563.53	(-)1.64
28	21-सड़कें एवं पुल	4,238.48	0	4,238.48	2,943.41	1,295.06	1,320.41	(+)25.35
29	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	1,001.94	112.27	1,114.21	916.28	197.93	197.32	(-)0.61
30	27-पेयजल योजना	3,312.49	₹ 4,000	3,312.49	2,674.07	638.42	825.33	(+)186.91
31	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	306.00	0	306.00	149.94	156.06	156.06	0
32	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	3,438.37	₹ 6,000	3,438.37	2,159.08	1,279.29	1,302.18	(+)22.89
33	43-स्वनिज	206.53	0	206.53	72.60	133.93	133.93	0
34	46-सिंचाई	2,345.12	0	2,345.12	1,859.85	485.27	421.56	(-)63.71
35	48-विद्युत	1,333.44	0	1,333.44	300.05	1,033.39	1,033.39	0
36	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4,654.93	₹ 7,000	4,654.93	2,681.51	1,973.42	1,988.71	(+)15.29
	योग	2,05,090.90	10,973.36	2,16,064.26	1,90,208.57	25,855.69	25,856.71	(+) 1.02

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट-3.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 88)

₹ एक करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	बचतें	अभ्यर्पित राशि	अनअभ्यर्पित राशि
राजस्व प्रभारित				
1	2049-ब्याज अदायगियां	292.39	284.81	7.58
2	015-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	4.79	2.00	2.79
राजस्व दत्तमत				
3	07-निर्वाचन	42.02	39.64	2.38
4	09-वन	142.89	141.24	1.65
5	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	959.28	882.85	76.43
6	16-पुलिस	523.06	489.75	33.31
7	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2,383.89	2,380.80	3.09
8	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई	929.00	926.65	2.35
9	27-पेयजल योजना	402.75	394.19	8.56
10	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,217.38	1,206.38	11.00
11	33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	291.02	243.12	47.90
12	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	955.24	899.15	56.09
13	37-कृषि	355.69	352.71	2.98
14	46-सिंचाई	197.39	166.57	30.82
15	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,716.47	1,712.23	4.24
पूँजीगत दत्तमत				
16	19-लोक निर्माण कार्य	565.17	563.53	1.64
17	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	60.56	52.09	8.47
18	46-सिंचाई	485.27	421.56	63.71
	योग	11,524.26	11,159.27	364.99

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ अनुच्छेद 3.4.1; पृष्ठ 91)

एकमुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण ₹ 5 करोड़ से अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान	लेखाशीर्ष	प्रावधान	व्यय
1.	19-लोक निर्माण कार्य	4059-80-051-03-01 नवीन उच्च न्यायालय भवन जोधपुर (आरएसआरडीसीसी के माध्यम से)	34.00	19.71
2.		4059-80-051-03-02 राजस्थान न्यायिक अकादमी भवन, जोधपुर (आरएसआरडीसीसी के माध्यम से)	5.00	0.00
3.		4059-80-051-03-03 अन्य न्यायिक भवन	125.40	56.89
4.		4059-80-051-04-01 मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	11.44	3.83
5.		4059-80-051-05-01 मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	56.87	28.86
6.		4059-80-051-27 सामान्य भवन (विधान सभा भवन का निर्माण)	9.59	3.14
7.		4070-003-01-90 निर्माण कार्य	10.62	4.95
8.		4210-03-001-01-90 निर्माण कार्य	4.20	0.00
9.		4210-03-105-04-90 निर्माण कार्य	12.54	4.37
10.		4210-03-105-11-90 निर्माण कार्य	479.35	117.61
11.	20-आवास	4216-01-700-01-90 निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)	53.10	12.28
12.	21-सड़कें एवं पुल	5054-03-337-16-01 एनसीआर सड़कों का निर्माण	88.61	70.75
13.		5054-04-800-02-01 ग्रामीण सड़कें	738.57	316.90
14.		5054-04-800-14-90 निर्माण कार्य	468.06	305.59
15.		5054-04-800-23-90 निर्माण कार्य	182.36	60.13
16.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	4202-01-202-17-01 माध्यमिक विद्यालयों के तहत निर्माण कार्य	30.00	15.00
17.		4202-01-202-18-01 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य	63.00	51.80
18.		4202-01-202-20-01 माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत समग्र शिक्षा के लिए निर्माण कार्य	420.00	264.57
19.		4202-01-203-07-01	44.58	8.10

क्र.सं	अनुदान	लेखाशीर्ष	प्रावधान	व्यय
		राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य		
20.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	4210-01-110-07-01 निर्माण कार्य	20.13	8.30
21.	27-पेयजल योजना	4215-01-101-01-86 ईशरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	104.73	6.73
22.		4215-01-102-01-51 बत्तीसा नाला पर बांध बनाकर, सिरोही जिले हेतु पेय जल योजना (ग्रामीण)	10.30	0.00
23.		4215-01-102-79 ईशरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	215.00	60.16
24.	30-जनजाति क्षेत्र विकास	4055-796-02-90 निर्माण कार्य	9.32	3.94
25.		4202-01-796-16-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य	8.49	1.54
26.		4210-03-796-09-90 निर्माण कार्य	110.65	30.00
27.		4215-01-796-02-45 ईशरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	19.98	1.35
28.		4225-02-796-11-03 एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण	25.00	16.00
29.		4225-02-796-11-11 खेल छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण	10.00	0.00
30.		4225-02-796-11-14 राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	8.00	0.00
31.		4225-02-796-24-02 टी ए डी भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण	8.53	0.00
32.		4700-32-796-01 निर्माण कार्य	116.24	81.16
33.		4700-34-796-01 निर्माण कार्य	39.62	7.00
34.		4701-73-796-01-01 निर्माण कार्य	5.61	0.52
35.		4702-796-01-02 निर्माण कार्य	62.73	53.95
36.		5054-04-796-18-90 निर्माण कार्य	35.79	11.83
37.	33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4235-02-800-10-01 रेम्प एवं लिफ्ट इत्यादि का निर्माण	15.00	8.61
38.	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	4403-101-15-01 निर्माण कार्य	16.80	0.00
39.	46-सिंचाई	4700-34-001-01-01 निर्माण कार्य	221.00	33.50
40.		4701-62-001-01 निर्माण कार्य	21.98	10.85
41.		4701-63-001-01-01	24.49	18.30

क्र.सं	अनुदान	लेखाशीर्ष	प्रावधान	व्यय	
		निर्माण कार्य (कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन-भत्ते)			
42.	46-सिंचाई	4701-72-001-01-01 निर्माण कार्य	30.60	8.71	
43.		4701-80-800-03-01 निर्माण कार्य	34.50	0.00	
44.		4702-101-07-01 निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	30.34	16.38	
45.		4711-01-103-03-03 अन्य जिले	16.53	10.59	
46.		51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4055-789-02-90 निर्माण कार्य	12.17	0.39
47.		4202-01-789-11-01 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य	10.61	1.93	
48.		4210-01-789-01-90 निर्माण कार्य	56.22	35.00	
49.		4210-02-789-01-90 निर्माण कार्य	6.22	1.17	
50.		4210-03-789-09-90 निर्माण कार्य	147.50	40.00	
51.		4215-01-789-01-56 ईशरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	107.95	29.92	
52.		4215-01-789-02-45 ईशरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	27.28	1.78	
53.		4700-05-789-01-01 पंजाब में इंदिरा गांधी फीडर पर निर्माण पर व्यय (मुख्य अभियंता, सिंचाई, पंजाब)	45.00	18.00	
54.		4700-32-789-01 निर्माण कार्य	160.88	129.31	
55.		4700-34-789-01 निर्माण कार्य	64.38	8.87	
56.		4701-80-789-01-01 निर्माण कार्य	9.00	0.00	
57.		5054-04-789-06-90 निर्माण कार्य	121.50	79.33	
58.		5054-04-789-15-90 निर्माण कार्य	47.34	15.54	
			योग	4,874.70	2,095.14

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ अनुच्छेद 3.5.3; पृष्ठ 95)

योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परियोजना	संशोधित परियोजना	वास्तविक व्यय
1.	9-वन	2406-01-102-26-01 राज्य वन विकास अभिकरण	1.59	0.00	0.00
2.		2406-04-103-02-01 जलागम क्षेत्र योजना के तहत व्यय	2.00	0.00	0.00
3.		2406-04-103-05-01 प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय	1.00	0.20	0.00
4.	16-पुलिस	2070-107-03-02 पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत सीमा नागरिक सुरक्षा हेतु राशि	1.51	0.73	0.00
5.	19-लोक निर्माण कार्य	4059-80-051-03-02 राजस्थान न्यायिक अकादमी भवन, जोधपुर (आरएसआरडीसीसी के माध्यम से)	5.00	₹ 1000	0.00
6.		4059-80-051-07-02 पंजीयक, सहकारिता विभाग के माध्यम से	1.58	0.00	0.00
7.		4059-80-051-47 सामान्य भवन (राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भवन)	1.15	0.44	0.00
8.		4210-03-001-01-90 निर्माण कार्य	4.20	₹ 2000	0.00
9.	21- सड़कें एवं पुल	3054-80-797-03 केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण (100% केन्द्र)	650.00	250.00	0.00
10.		3054-02-337-01-02 संधारण एवं जीर्णोद्धार	173.49	₹ 1000	0.00
11.		5054-03-337-17-01 सड़क सुरक्षा प्रबन्धन	2.78	2.78	0.00
12.		5054-02-337-03 सीमावर्ती सड़क विकास मंडल के माध्यम से	42.00	₹ 1000	0.00
13.	22-क्षेत्र का विकास	4575-01-101-01-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	3.69	0.00	0.00
14.	23-श्रम तथा रोजगार	2230-03-101-04-01 कौशल संवर्धन	1.00	0.00	0.00
15.		3475-108-02-02 आई ई सी एक्टिविटीज	2.00	0.20	0.00
16.		4250-203-04-01 संयन्त्र एवं उपकरण	5.81	5.00	0.00
17.		4250-203-10-01 संयन्त्र एवं उपकरण	1.00	1.00	0.00
18.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-02-109-23 लैपटॉप वितरण	33.12	₹ 1000	0.00
19.		2202-02-113-02-04 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी टी ई)	7.40	3.40	0.00
20.		2202-03-102-05 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को अनुदान-प्रतिबद्ध	5.95	5.95	0.00

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
21.		2202-03-102-11 बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को अनुदान	4.00	₹ 3000	0.00
22.		2202-03-104-02 महाविद्यालयों को अनुदान	1.00	₹ 2000	0.00
23.		2203-104-20-01 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाड़मेर को अनुदान	1.00	0.00	0.00
24.		2204-102-07-01 महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी, सीकर को सहायता	10.00	₹ 1000	0.00
25.		4202-04-106-05 एस एम एस टाउन हॉल तथा जलेब चौक में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम की स्थापना हेतु	1.00	0.05	0.00
26.	26-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	2210-05-105-03-01 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	42.60	8.20	0.00
27.		2210-05-105-08-01 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसाइटी	16.48	₹ 6000	0.00
28.		2211-200-01 परम्परागत गर्भनिरोधक	14.00	14.00	0.00
29.		4210-01-110-03 आयुर्वेद विभाग के माध्यम से	2.00	₹ 1000	0.00
30.	27-पेयजल योजना	4215-01-101-01-45 पोकरण-फलसुंड (फलोदी) जलप्रदाय योजना	6.86	0.00	0.00
31.		4215-01-101-01-81 चम्बल-भीलवाड़ा जलापूर्ति योजना-क्लस्टर	10.30	0.00	0.00
32.		4215-01-101-11-05 डुंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना	13.56	0.00	0.00
33.		4215-01-101-10-01 मूल्य ह्रास आरक्षित निधि के विरुद्ध जलापूर्ति योजनाओं का पुनरुद्धार	67.11	67.11	0.00
34.		4215-01-101-01-87 चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेस-I, पार्ट-II (शहरी)	13.55	₹ 1000	0.00
35.		4215-01-101-01-88 जवाई-पाली पाइपलाइन परियोजना फेस-II पार्ट-बी (शहरी)	8.71	₹ 1000	0.00
36.		4215-01-101-01-95 अटरू-शेरगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बारों (शहरी)	2.59	₹ 1000	0.00
37.		4215-01-102-01-51 बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरोही जिले हेतु पेय जल योजना (ग्रामीण)	10.30	0.00	0.00
38.		4215-01-102-01-54 जासम बांध से जिला प्रतापगढ़ के गावों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)	5.30	0.00	0.00
39.		4215-01-102-01-60 झाली जी का बराना पेयजल परियोजना	3.45	0.00	0.00
40.		4215-01-102-01-67 हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना, जिला कोटा	3.24	0.00	0.00
41.		4215-01-102-02-03 2215-जलापूर्ति एवं सफाई 02-001(09) से स्थानांतरित प्रतिशतता व्यय (प्रोरेटा)	107.01	106.41	0.00
42.		4215-01-102-03-05 2215-जलापूर्ति एवं सफाई -01-102 से स्थानांतरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण प्रतिशतता प्रभार (ओ एंड एम)	91.47	91.47	0.00
43.		2217-05-190-02-03	2.75	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड			
44.		2217-05-800-01-04 कोटा स्मार्ट सिटी	100.00	96.00	0.00
45.		2217-80-191-36-01 स्वच्छ भारत मिशन	20.47	15.35	0.00
46.		2217-80-192-39-01 स्वच्छ भारत मिशन	48.22	36.16	0.00
47.		2217-80-192-49-01 सामान्य	20.61	6.87	0.00
48.		4217-03-800-01-05 विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं में सुधार का कार्य	4.80	4.80	0.00
49.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-02-113-02-06 अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी टी ई) अनुसूचित जनजातियों के लिए	1.63	0.70	0.00
50.		2202-02-796-04 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की छात्राओं को गार्गी/प्रोत्साहन पुरस्कार	6.50	₹ 1000	0.00
51.		2202-02-796-18 लैपटॉप का वितरण	6.48	₹ 1000	0.00
52.		2210-05-796-02-01 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसाइटी	5.35	₹ 2000	0.00
53.		2217-80-191-36-03 स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)	4.02	3.01	0.00
54.		2217-80-192-39-03 स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)	9.46	7.09	0.00
55.		2217-80-192-49-03 जन जाति क्षेत्र उप-योजना	4.04	1.35	0.00
56.		2225-02-796-02-44 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पौधारोपण हेतु अनुदान (वि के स)	3.00	0.00	0.00
57.		2225-02-796-02-56 विद्युत/डीजल पंप सेट वितरण, कुओं का विद्युतीकरण, पी वी सी पाइपलाइन तथा ड्रिप/रिप्रिंकलर सेट हेतु अनुदान	10.00	0.00	0.00
58.		2225-02-796-04-11 विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत बिस्वरी क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम	1.50	0.00	0.00
59.		2235-02-796-15-01 महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग	3.50	0.55	0.00
60.		2401-796-64-12 डेयरी विभाग के माध्यम से	3.17	0.00	0.00
61.		2401-796-64-13 राजफेड को सहायता (सहकारिता विभाग के माध्यम से)	4.17	0.00	0.00
62.		2425-796-31 समग्र सहकारी विकास के लिए सहायता	1.99	0.00	0.00
63.		3454-02-796-02-24 विकास केंद्र	2.14	0.50	0.00
64.		4202-02-796-01 निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से	3.71	2.71	0.00
65.		4210-03-796-04-01 चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	1.27	0.47	0.00

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
66.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	4210-03-796-05-03 चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर	15.00	6.00	0.00
67.		4210-03-796-08-02 चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	5.00	1.80	0.00
68.		4215-01-796-01-02 2215-जलापूर्ति एवं सफ़ाई -01-102 से स्थानांतरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण प्रतिशतता प्रभार (ओ एंड एम)	24.15	24.15	0.00
69.		4215-01-796-01-73 बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरोही जिले हेतु पेय जल योजना (ग्रामीण)	2.03	0.00	0.00
70.		4215-01-796-01-75 जासम बांध से प्रतापगढ़ जिला के गावों हेतु पेयजल परियोजना (ग्रामीण)	1.01	0.00	0.00
71.		4215-01-796-02-40 चम्बल-भीलवाड़ा जलापूर्ति योजना-कलस्टर	2.03	0.00	0.00
72.		4215-01-796-02-29 पोकरण-फलसुंड जलापूर्ति परियोजना(शहरी)	1.36	0.00	0.00
73.		4215-01-796-02-43 भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलापूर्ति परियोजना	3.67	0.27	0.00
74.		4215-01-796-02-46 चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेस-I, पार्ट-II (शहरी)	1.89	₹ 1000	0.00
75.		4215-01-796-02-47 जवाई-पाली पाइपलाइन परियोजना फेस-II पार्ट-बी (शहरी)	1.70	₹ 1000	0.00
76.		4215-01-796-02-56 डुंगरपुर, आसपुर एवं डोवड़ा पेयजल परियोजना	4.93	0.00	0.00
77.		4225-02-796-11-05 हैंडपंप स्थापना सहित पेयजल योजनायें	8.00	0.00	0.00
78.		4225-02-796-11-07 सामुदायिक भवनों का निर्माण	2.00	0.00	0.00
79.		4225-02-796-11-11 सेल छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण	10.00	0.00	0.00
80.		4225-02-796-11-14 सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	8.00	0.00	0.00
81.		4225-02-796-11-16 चारदीवारी का निर्माण एवं मरम्मत	3.00	0.00	0.00
82.		4225-02-796-11-17 राजकीय शैक्षणिक संस्थानों में अतिरिक्त निर्माण कार्य	4.00	0.00	0.00
83.		4225-02-796-24-02 टी ए डी भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण	8.53	0.00	0.00
84.		4250-796-01-01 संयंत्र एवं उपकरण	3.50	3.50	0.00
85.		4401-796-07-06 कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से	2.88	0.00	0.00
86.	4425-195-05-03 समग्र सहकारी विकास हेतु सहायता	3.33	0.00	0.00	
87.	4575-01-796-01-01 डांग क्षेत्र का विकास	1.05	0.00	0.00	
88.	4701-24-796-01-01	9.37	0.00	0.00	

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	निर्माण कार्य			
89.		4701-80-796-01-01 निर्माण कार्य	6.50	2.60	0.00
90.		4801-80-796-03 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन	41.25	14.32	0.00
91.		4853-01-796-04-02 खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	1.96	0.00	0.00
92.		6801-796-04-01 राजस्थान अक्षय उर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए डी बी)	34.11	-	0.00
93.	32-नागरिक आपूर्ति	5475-102-09 उपभोक्ता संरक्षण के राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकीकरण	4.19	2.68	0.00
94.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225-01-793-01 अनुसूचित जाति उप-परियोजना	36.00	₹ 5000	0.00
95.		2225-04-102-01-01 अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए रोजगार सृजन/ स्व-रोजगार योजना	2.00	0.80	0.00
96.		2225-04-800-01-01 राजस्थान वक्फ बोर्ड को अनुदान	2.85	1.00	0.00
97.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-101-14-02 वृद्ध, अशक्त एवं निः सहाय बच्चों के लिए राहत	6.00	1.00	0.00
98.		2245-01-102-11-01 ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति	14.00	14.00	0.00
99.		2245-01-102-11-02 नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति	1.20	1.20	0.00
100.		2245-01-102-11-03 पशु शिविरों में जलापूर्ति	1.00	1.00	0.00
101.		2245-01-104-09-02 पशु पोषण केंद्र	10.00	10.00	0.00
102.		2245-01-105-04-01 औषधियों एवं टीका-दवाइयों पर अतिरिक्त लागत	2.00	2.00	0.00
103.		2245-01-800-03-01 अन्य विशेष राहत	2.00	2.00	0.00
104.		2245-01-800-04-02 सम्बंध पक्षों/कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	1.00	1.00	0.00
105.		2245-01-800-04-03 राज्य के प्रशिक्षण संस्थाओं के आपदा प्रबंधन केन्द्रों को सहायता	1.00	1.00	0.00
106.		2245-01-800-04-05 आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढीकरण	2.00	2.00	0.00
107.		2245-02-101-16-01 अन्य मद	2.00	2.00	0.00
108.		2245-02-101-16-02 अंग भंग या चक्षु क्षति पर आनुगृहिक राहत	1.00	1.00	0.00
109.		2245-02-101-16-04 वृद्ध, अशक्त एवं निः सहाय बच्चों के लिए राहत	1.00	1.00	0.00
110.		2245-02-101-16-07 जीवन बचाव हेतु नाव किराया	2.00	2.00	0.00
111.		2245-02-101-16-08	1.00	1.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
	34-प्राकृतिक आपदाओं से	आवश्यक वस्तुओं की हवाई आपूर्ति			
112.	राहत	2245-02-102-04-01 मानवीय जलापूर्ति	2.00	1.00	0.00
113.		2245-02-102-04-02 पशुओं के लिए जलापूर्ति	2.00	2.00	0.00
114.		2245-02-104-02-01 आपदाओं से प्रभावितों को चारे की पूर्ति	2.00	2.00	0.00
115.		2245-02-105-05-01 औषधियों एवं टीका-दवाइयों पर अतिरिक्त लागत	1.00	1.00	0.00
116.		2245-02-109-02-01 बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत	6.00	10.00	0.00
117.		2245-02-113-09-03 पूर्ण क्षतिग्रस्त झौपड़ी	10.00	10.00	0.00
118.		2245-02-115-02-01 भूमि से रेत/गाद/लवणता इत्यादि हटाने हेतु सहायता	1.00	1.00	0.00
119.		2245-02-191-02-01 बाढ़ प्रभावित कार्यों हेतु नगर निगमों को सहायता	1.00	1.00	0.00
120.		2245-02-192-02-01 बाढ़ प्रभावित कार्यों हेतु नगर निगमों/नगर परिषदों को सहायता	2.00	2.00	0.00
121.		2245-02-193-02-01 बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता	2.00	6.00	0.00
122.		2245-02-282-07-02 मृत शरीरों एवं लाशों का निपटारा	1.00	1.00	0.00
123.	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	3454-02-203-01-26 विकास केंद्र	10.39	1.00	0.00
124.	36-सहकारिता	2425-107-25 कोर बैंकिंग	22.28	0.00	0.00
125.		2425-800-02 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान	210.00	210.00	0.00
126.		2425-001-01 निर्देशन	5.00	0.00	0.00
127.	37-कृषि	2401-800-27-04 डेयरी विभाग के माध्यम से	17.50	0.00	0.00
128.		2435-60-800-01-01 राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, को सहायता	80.00	40.00	0.00
129.		6408-02-190-01-01 राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को उधार	50.00	-	0.00
130.	38-लघु सिंचाई एवं मृदा संरक्षण	4702-102-01-01 मशीनरी आदि का क्रय	1.30	0.00	0.00
131.	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	2403-108-01-01 पशु बीमा	2.00	2.00	0.00
132.	42-उद्योग	2852-80-190-04-01 रीको को सहायता	75.00	0.00	0.00
133.		6885-60-800-03-01 दिल्ली-मुम्बई इन्डस्ट्रियल कारीडोर (डीएमआईसी)	10.00	-	0.00
134.	43-स्वनिज	4853-01-004-07-02	5.00	0.00	0.00

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
		सनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
135.	46-सिंचाई	2700-02-800-01-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	1.85	0.00	0.00
136.		2700-22-800-02 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	10.64	0.00	0.00
137.		2701-02-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	3.53	3.42	0.00
138.		2701-24-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	16.72	16.37	0.00
139.		4701-02-001-02-01 निर्माण कार्य	3.00	0.00	0.00
140.		4701-80-800-03-01 निर्माण कार्य	34.50	13.77	0.00
141.		48-बिजली	4801-80-190-03 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन	151.25	69.60
142.	6801-190-02-01 राजस्थान अक्षय उर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए डी बी)		136.45	-	0.00
143.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण के हेतु विशिष्ट सघटक योजना	2202-02-113-02-05 अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सी टी ई) अनुसूचित जाति के लिए	1.97	0.90	0.00
144.		2202-02-789-03 अनुसूचित जाति क्षेत्र की छात्राओं के लिए मार्गी/प्रोत्साहन पुरस्कार	8.50	₹ 1000	0.00
145.		2202-02-789-14 लैपटॉप वितरण	8.40	₹ 1000	0.00
146.		2202-03-789-07-01 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण	1.50	1.80	0.00
147.		2205-789-04-01 पुरातत्व विभाग के माध्यम से	3.99	4.01	0.00
148.		2210-05-789-02-01 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसाइटी	2.68	₹ 2000	0.00
149.		2217-80-191-36-02 स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)	5.31	3.99	0.00
150.		2217-80-192-39-02 स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)	12.52	9.38	0.00
151.		2217-80-192-49-02 अनुसूचित जाति के लिए उप-योजना	5.35	1.78	0.00
152.		2225-01-196-12 सम्बल ग्रामों के विकास हेतु अनुदान	2.00	₹ 1000	0.00
153.		2235-02-789-03-01 महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग	4.50	0.74	0.00
154.	2401-789-03-04 डेयरी विभाग के माध्यम से जारी अनुदान	10.00	5.15	0.00	
155.	2401-789-03-08 राजफेड को सहायता (सहकारिता विभाग के माध्यम से)	5.00	0.00	0.00	
156.	2515-198-34-03 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	142.82	142.82	0.00	
157.	2701-80-789-01-01	5.97	0.00	0.00	

क्र. सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	
	51-अनुसूचित जाति के कल्याण के हेतु विशिष्ट सघटक योजना	निर्माण कार्य				
158.		3454-02-789-01-24	विकास केंद्र	2.75	0.50	0.00
159.		4202-02-789-02	भवन	4.15	0.00	0.00
160.		4202-03-789-01	खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल	3.59	0.75	0.00
161.		4210-03-789-04-01	चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	1.71	0.66	0.00
162.		4215-01-789-01-78	बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरोही जिले के लिए पेयजल योजना (ग्रामीण)	2.67	0.00	0.00
163.		4215-01-789-02-29	पोकरण-फलसुंड जलप्रदाय परियोजना(शहरी)	1.78	0.00	0.00
164.		4215-01-789-02-40	चम्बल-भीलवाड़ा जलापूर्ति योजना-क्लस्टर	2.67	0.00	0.00
165.		4215-01-789-02-43	भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलापूर्ति परियोजना	5.08	0.36	0.00
166.		4215-01-789-02-46	चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेस-I, पार्ट-II (शहरी)	3.53	₹ 1000	0.00
167.		4215-01-789-02-47	जवाई-पाली पाइपलाइन परियोजना फेस-II पार्ट-बी (शहरी)	2.26	₹ 1000	0.00
168.		4215-01-789-02-56	डूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना	6.10	0.00	0.00
169.		4701-80-789-01-01	निर्माण कार्य	9.00	3.60	0.00
170.		4801-80-789-03	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन	82.50	18.42	0.00
171.		4853-01-789-02-02	खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	2.95	0.00	0.00
172.		6801-789-04-01	राजस्थान अक्षय उर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए डी बी)	73.10	-	0.00
173.		4215-01-789-01-65	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए संचालन एवं संधारण पर प्रतिशतता प्रभार	17.87	17.87	0.00
174.		4575-01-789-01-01	डांग क्षेत्र विकास	1.30	0.40	0.00
175.	4217-03-789-08-01	विभिन्न शहरी निकायों की जलापूर्ति योजनाओं में नवीनीकरण कार्य	1.25	1.25	0.00	
176.	4215-01-789-02-29	पोकरण-फलसुंड जलप्रदाय परियोजना (शहरी)	1.78	0.00	0.00	
177.	2401-789-06-02	राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-बीज एवं पौधारोपण सामग्री	1.07	0.00	0.00	
178.	2202-03-789-07-01	मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण	1.50	1.80	0.00	
		योग	3,278.60		0.00	

स्रोत: विनियोग लेखे।

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ अनुच्छेद 3.5.3; पृष्ठ 95)

मामले जहाँ विगत तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान	लेखाशीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21
1.	022-क्षेत्र का विकास	2575-02-102-01-01 मुख्यालय	0.60	0.60	0.59
2.	027-पेयजल योजनायें	4215-01-101-11-05 डूंगरपुर, आसपुर एवं दोबड़ा पेयजल परियोजना	6.20	13.25	13.56
3.		4215-01-102-01-54 जाखम बांध से जिला प्रतापगढ़ के गावों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)	25.81	3.45	5.30
4.		4215-01-102-01-60 झाली जी का बराना पेयजल परियोजना	12.40	3.45	3.45
5.		29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-800-01-04 कोटा स्मार्ट सिटी	141.40	15.00
6.		4217-03-800-01-05 विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय परियोजनाओं में सुधार का कार्य	3.96	4.35	4.80
7.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	4210-03-796-05-03 चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर	14.17	15.00	15.00
8.		4215-01-796-01-75 जाखम बांध (ग्रामीण) से प्रतापगढ़ जिले के गावों के लिए पेयजल परियोजना	5.07	0.65	1.01
9.		4215-01-796-02-56 डूंगरपुर, आसपुर एवं दोबड़ा पेयजल परियोजना	1.30	5.25	4.93
10.		4853-01-796-04-02 स्नन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	1.96	1.96	1.96
11.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-101-14-02 वृद्ध, अशक्त एवं असहाय बच्चों के लिए राहत	5.00	5.00	6.00
12.		2245-01-102-11-02 नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति	1.00	1.00	1.20
13.		2245-01-102-11-03 पशु शिविरों में जलापूर्ति	0.40	0.40	1.00
14.		2245-01-105-04-01 औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत	2.50	2.50	2.00
15.		2245-01-800-03-01 अन्य विशेष राहत	1.00	1.00	2.00
16.		2245-01-800-04-02 सम्बंध पक्षों/कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	1.00	1.00	1.00
17.		2245-01-800-04-03 राज्य के प्रशिक्षण संस्थाओं के आपदा प्रबंधन केन्द्रों को सहायता	1.00	1.00	1.00
18.		2245-01-800-04-05 आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढ़ीकरण	1.00	1.00	2.00

क्र.सं.	अनुदान	लेखाशीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21
19.		2245-02-101-16-02 अंग भंग या चक्षु क्षति पर अनुग्रहिक राहत	0.05	0.10	1.00
20.		2245-02-101-16-04 वृद्ध, अशक्त एवं असहाय बच्चों के लिए राहत	0.20	0.20	1.00
21.		2245-02-101-16-07 जीवन बचाव हेतु नाव किराया	0.10	0.20	2.00
22.		2245-02-102-04-01 मानवीय जलापूर्ति	0.05	0.20	2.00
23.		2245-02-102-04-02 पशुओं के लिए जलापूर्ति	0.05	0.20	2.00
24.		2245-02-105-05-01 औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत	0.10	0.10	1.00
25.		2245-02-109-02-01 बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत	2.50	2.50	6.00
26.		2245-02-115-02-01 भूमि से रेत/गाद/लवणता इत्यादि हटाने हेतु सहायता	1.00	1.00	1.00
27.		2245-02-191-02-01 बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर निगमों को सहायता	1.00	1.00	1.00
28.		2245-02-192-02-01 बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर निगमों/नगरपरिषदों को सहायता	2.00	2.00	2.00
29.		2245-02-193-02-01 बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता	1.00	1.00	2.00
30.		2245-02-282-07-02 मृत शरीरों एवं लाशों का निपटान	0.10	0.10	1.00
31.	36-समन्वय	2425-107-25 कोर बैंकिंग	22.28	22.28	22.28
32.	43-स्ननिज	4853-01-004-07-02 स्ननन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	5.00	5.00	5.00
33.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण के हेतु विशिष्ट साघटक योजना	2515-198-34-03 कार्यकलाप/ गतिविधियाँ	61.84	40.11	142.82
34.		4215-01-789-02-56 डुंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना	2.50	6.50	6.10
35.		4853-01-789-02-02 स्ननन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	2.95	2.95	2.95
36.		4217-03-789-08-01 विभिन्न शहरी निकायों की जलापूर्ति योजनाओं में नवीनीकरण कार्य	1.03	1.13	1.25
		योग	329.52	162.43	369.20

स्रोत: विनियोग लेखे।

परिशिष्ट-3.8

(संदर्भ अनुच्छेद 3.5.4; पृष्ठ 99)

व्यय का प्रवाह (जहाँ अन्तिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था)।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष (उपशीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय	के दौरान हुये व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2021	मार्च 2021
1	9-वन	2406-02-110-01 बाघ परियोजना, रणथम्भौर	7.48	6.88	11.40	65.59	60.34
2		4406-01-101-11 जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक	7.70	6.27	12.71	60.61	49.36
3		4406-01-102-14 नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य	20.93	17.79	22.84	91.67	77.89
4	12-अन्य कर	2030-02-101-01 स्टाम्प मुद्रण	41.03	41.03	61.03	67.23	67.23
5		3055-800-08 समर्पित सड़क सुरक्षा निधि	11.94	11.19	21.74	54.92	51.46
6	14-बिक्री कर	2040-800-02 राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी	425.93	415.06	786.42	54.16	52.78
7	19-लोक निर्माण	4210-03-105-11 नए चिकित्सा महाविद्यालय	112.41	64.41	117.61	95.58	54.76
8	21-सड़कें एवं पुल	5054-04-800-22 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वित्तपोषित सड़कें	300.17	300.17	405.17	74.08	74.08
9	23-श्रम तथा रोजगार	2230-01-103-07 भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान-प्रतिबद्ध	412.82	412.82	412.82	100.00	100.00
10	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-01-112-02 राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम (मिड-डे-मील)	32.50	32.50	32.50	100.00	100.00
11		2202-01-800-05 मदरसा विद्यालय	34.83	34.83	64.80	53.75	53.75
12		2202-04-200-05 पढ़ना एवं लिखना अभियान	6.68	6.68	6.68	100.00	100.00
13	27-पेयजल योजना	2215-01-101-15 जल उपकरण	12.07	12.07	12.07	100.00	100.00
14		4215-01-101-11 अभिवृद्धि शहरी जलापूर्ति योजना	20.93	16.58	24.13	86.77	68.72
15		4215-01-102-39 पोकरण-फलसुंड जलापूर्ति योजना	16.50	16.50	16.89	97.66	97.66
16		4215-01-102-50 बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेस-II	10.62	10.63	15.69	67.70	67.77
17		4215-01-102-96 नर्मदा नहर में जल संसाधन विभाग को पेयजल हेतु हिस्सा राशि	20.67	20.67	20.67	100.00	100.00
18		2501-05-196-08	227.99	217.32	261.77	87.09	83.02

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष (उपशीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय	के दौरान हुये व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत		
						जनवरी-मार्च 2021	मार्च 2021	
		जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय						
19		2501-05-196-10 राजीव गाँधी जल संचय योजना	31.51	31.51	31.76	99.22	99.22	
20	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-06-196-10 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)	10.94	0	10.94	100.00	0	
21	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-191-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	183.90	183.90	334.99	54.90	54.90	
22		2217-80-191-29 सार्वजनिक रोशनी	48.91	48.91	53.85	90.83	90.83	
23		2217-80-191-41 अन्नपूर्णा योजना	11.11	11.11	11.11	100.00	100.00	
24		2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	465.88	464.06	846.90	55.01	54.80	
25		2217-80-192-33 सार्वजनिक रोशनी	82.57	82.57	82.57	100.00	100.00	
26		2217-80-192-36 विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण	84.43	84.43	84.43	100.00	100.00	
27		2217-80-192-40 टोस मल प्रबन्धन	21.23	21.23	21.23	100.00	100.00	
28		2217-80-192-44 अन्नपूर्णा योजना	25.73	25.73	25.73	100.00	100.00	
29		2217-80-192-50 सीवरेज लाइन की सफाई	21.23	21.23	21.23	100.00	100.00	
30		4217-03-800-02 शहरी सड़कें एवं नालियां आदि (आर ओ बी)	15.80	15.80	23.47	67.31	67.31	
31		4217-60-50-07 राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आरयुएसडीआईपी)	93.89	75.08	140.74	66.72	53.35	
32		30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-01-796-12 मिड-डे-मील	84.51	73.08	129.69	65.16	56.34
33			2217-80-191-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	36.09	36.09	65.74	54.90	54.90
34			2217-80-191-38 टोस मल प्रबन्धन	1.77	1.77	1.77	100.00	100.00
35	2217-80-191-41 अन्नपूर्णा योजना		2.18	2.18	2.18	100.00	100.00	
36	2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान		91.84	91.16	166.20	55.26	54.85	
37	2404-796-01-01 मुख्य मंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना		32.50	32.50	48.75	66.67	66.67	
38	2515-196-25		26.32	19.04	38.00	69.28	50.12	

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष (उपशीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय	के दौरान हुये व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2021	मार्च 2021
		ग्रामीण बीपीएल आवास					
39		2515-197-05 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत पंचायत समितियों को अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)	38.92	38.92	38.92	99.84	99.84
40		2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान	247.58	233.65	294.07	84.19	79.45
41		4210-03-796-01 अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा	27.39	25.25	42.97	63.73	58.77
42		4225-02-796-24 जनजाति उप-योजना क्षेत्र के विकास हेतु, पूंजीगत निर्माण (एस सी ए)	7.42	7.42	11.75	63.15	63.15
43		4403-796-01 पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय उप-केन्द्रों का निर्माण-नाबार्ड आर आई डी एफ टी-XXIV	14.50	14.50	17.00	85.29	85.29
44		5054-04-796-16 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वित्तपोषित सड़कें	57.28	57.28	76.78	74.60	74.60
45		5054-04-796-17 हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	1.58	0	2.33	67.94	0
46	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-104-09 सूखे के अंतर्गत चारे की पूर्ति	9.12	9.03	12.01	75.89	75.18
47		2245-02-282-07 बाढ़ क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य	785.07	751.82	1,126.41	69.70	66.74
48	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवायें	5475-800-08 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	127.60	114.36	198.84	64.17	57.51
49	36-सहकारिता	2425-107-20 सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता	283.51	240.50	388	73.07	61.98
50	37-कृषि	2401-119-26 प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपांतरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- सूक्ष्म सिंचाई)	65.82	64.71	125.91	52.28	51.39
51		2401-800-37 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	78.87	78.83	101.86	77.42	77.39
52		4401-800-03 राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (एस सी ए)	61.41	53.84	78.20	78.53	68.85
53	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	2404-195-04 मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना	35.00	35.00	52.50	66.67	66.67
54		4403-101-14	35.00	35.00	40.00	87.50	87.50

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष (उपशीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय	के दौरान हुये व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2021	मार्च 2021
		पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय उप-केन्द्रों का निर्माण-नाबार्ड आरआईडीएफटी-XXIV					
55		4403-101-16 राज्य स्तर, जिला पोली क्लिनिक, पशु चिकित्सालय/अस्पतालों एवं उप-केंद्र/औषधालयों का निर्माण- नाबार्ड (आरआईडीएफ-XXVI)	14.00	14.00	20.00	70.00	70.00
56	41-सामुदायिक विकास	2515-196-25 ग्रामीण बीपीएल आवास	132.48	95.55	192.78	68.72	49.57
57		2515-197-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों को अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)	197.45	197.45	197.80	99.82	99.82
58		2515-198-33 चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए बुनियादी अनुदान	12.98	12.98	15.21	85.38	85.38
59	46-सिंचाई	2702-01-800-09 राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर डब्ल्यू एस एल आई पी)	20.38	19.50	25.12	81.12	77.62
60	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2202-01-789-05 मिड-डे-मील	113.23	97.14	163.45	69.28	59.43
61		2202-01-789-06 राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम (मिड-डे-मील)	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00
62		2217-80-191-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	47.74	47.74	86.95	54.90	54.90
63		2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	121.47	120.58	219.83	55.26	54.85
64		2403-797-02 राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि को अंतरण	175.00	175.00	175.00	100.00	100.00
65		2404-789-01 मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना	32.50	32.50	48.75	66.67	66.67
		कुल	5,848.84	5,547.33	8,210.72	71.23	67.56

स्रोत: विनियोजन लेखे।

परिशिष्ट - 3.9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.5.5; पृष्ठ 103)

विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत ध्यान में आयी उल्लेखनीय बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	कुल (मू+पु)	व्यय	बचत	विभाग द्वारा अवगत कराये गए बचत के कारण
1.	2401-001-01 संचालन	6.01	4.92	1.09	विभाग कोविड-19 महामारी के कारण प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर सका।
2.	2401-001-06-01 स्थापना व्यय	14.29	13.17	1.12	डीए फ्रीज तथा वित्त विभाग द्वारा व्यय में मितव्ययिता के लिए जारी निर्देशों के अनुसार बजट प्रावधान कम किया गया।
3.	2401-105-11 साद्य एवं उर्वरक योजनायें	7.04	2.55	4.49	वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के लिए जारी निर्देशों के अनुसार बजट प्रावधान को कम कर दिया गया।
4.	2401-105-13 स्थापना व्यय	11.47	10.17	1.30	कोविड-19 महामारी के कारण डीए फ्रिज करने के कारण।
5.	2401-102-01-02 राष्ट्रीय साद्य सुरक्षा मिशन – दालें	2.09	0.39	1.70	कोविड-19 महामारी के कारण जिलों में जिप्सम की कम आपूर्ति।
6.	2401-109-13 इनोवेटिव कार्यक्रम/मिनीकिट वितरण	3.50	1.94	1.56	वित्त विभाग के निर्देशानुसार केवल बीज मिनी किट की पूर्व देनदारी का भुगतान किया गया तथा सूक्ष्म पोषक कार्यक्रम के प्रावधान को कम किया गया।
7.	2401-109-06-09 कृषि विस्तार सेवाएँ	2.02	0.23	1.79	वित्त विभाग के निर्देशानुसार महिला प्रशिक्षण के पूर्व दायित्व का ही भुगतान किया गया तथा बजट प्रावधान कम किया गया।
8.	2401-196-06-11 कृषि प्रदर्शन/मिनीकिट वितरण	2.52	0.18	2.34	वित्त विभाग के निर्देशानुसार केवल पूर्व दायित्व का भुगतान किया गया तथा बजट प्रावधान कम किया गया।
9.	2401-196-06-31 परम्परागत कृषि विकास योजना	29.29	5.81	23.48	भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता जारी नहीं करने के कारण।
10.	2401-196-06-35 सतत कृषि मिशन- कृषि वानिकी	2.40	0.72	1.68	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत कृषि वानिकी के लिए भारत सरकार द्वारा राशि जारी नहीं की गई थी।
11.	2401-196-06-36 बीज विकास	3.50	0.90	2.60	वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार बजट प्रावधान कम कर दिया गया।
12.	2401-196-09-01 स्थापना व्यय प्रतिबद्ध	59.27	55.16	4.11	कोविड-19 महामारी के कारण डीए फ्रिज करने के कारण।
13.	2401-197-02 पंचायत समिति स्तर पर स्थापना व्यय	62.03	55.49	6.54	डीए फ्रीज होने, कार्मिकों का स्थानान्तरण एवं सेवानिवृत्ति के बाद पदों का रिक्त रहना।
14.	2401-197-04-01 स्थापना व्यय-प्रतिबद्ध	243.36	198.57	44.79	कृषि पर्यवेक्षक की नियुक्ति में देरी के कारण, डीए फ्रिज एवं वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के निर्देश जारी होने के कारण।
15.	2401-800-27-02 वानिकी विभाग के माध्यम से	35.84	9.98	25.86	बागवानी विकास परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया का पालन न करने और आवेदन की कम प्राप्ति तथा गैर-एन एच एम जिलों में संरक्षित स्वेती।
16.	2401-800-27-03 पशुपालन विभाग के माध्यम से	6.67	1.64	5.03	पशु स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम की पशु स्वास्थ्य उप योजना के तहत दवाओं एवं टीकों की कम स्वीकृति और स्वीकृत योजना के तहत पशु स्वास्थ्य उप-योजना के अंतर्गत कम स्वीकृति।
17.	2401-800-27-17 गोपालन विभाग के माध्यम से	3.50	1.83	1.67	राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा केवल गोपालन विभाग की कम लागत वाली परियोजनाओं की स्वीकृति के कारण। इसके अलावा, बैंकों द्वारा लाभार्थियों को ऋण की गैर/ कम स्वीकृति।
18.	2401-800-27-18 श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के माध्यम से	3.66	1.18	2.48	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की परियोजनाओं हेतु राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा कम राशि स्वीकृति।
19.	2401-800-31-01 कृषि विभाग के माध्यम से	76.77	20.36	56.41	वित्त विभाग और भारत सरकार द्वारा रैपाड (द्वितीय चरण) की स्वीकृति जारी नहीं करने एवं विश्व बैंक द्वारा परियोजना को 30 जून 2020 से आगे बढ़ाने से मना कर देने के कारण।

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	कुल (मु+पु)	व्यय	बचत	विभाग द्वारा अवगत कराये गए बचत के कारण
20.	2401-800-35-02 मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	8.80	1.91	6.89	वित्त विभाग के मितव्ययिता रखने के परिपत्र के मद्देनजर मशीनरी की खरीद और सामग्री की आपूर्ति पर नया खर्च नहीं किया जा सका।
21.	2401-800-37-01 कृषि विभाग के माध्यम से	134.23	101.86	32.37	भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत केंद्रीय सहायता कम जारी करने के कारण।
22.	4401-800-03-03 पशुपालन विभाग के माध्यम से	6.00	4.48	1.52	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्माण कार्यों के लिए बजट की कम मांग के कारण।
23.	2401-109-16-05 कृषि में ई शासन योजना	2.52	0.87	1.65	भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान जारी न करने के कारण।
24.	2401-119-25 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	61.20	41.31	19.89	बजट नियंत्रण अधिकारी ने कोषागार कार्यालयों द्वारा ईसीएस बिलों की कमी और कोविड -19 महामारी के कारण लॉकडाउन को बचत के लिए जिम्मेदार ठहराया।
25.	2401-116-32 ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान	10.99	4.48	6.51	बजट नियंत्रण अधिकारी ने कोषागार कार्यालयों द्वारा ईसीएस बिलों की कमी और कोविड -19 महामारी के कारण लॉकडाउन को बचत के लिए जिम्मेदार ठहराया।
26.	2401-119-36 सोलर पंप सेट पर अतिरिक्त अनुदान	183.40	60.20	123.20	बजट नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के कारण, सौर ऊर्जा स्थापना के लिए राशि का उपयोग नहीं किया गया है।
27.	2401-800-27-16 राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से	2.88	0.75	2.13	राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर की परियोजनाओं के लिए कम लागत की स्वीकृति के कारण।
28.	2401-800-27-20 कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के माध्यम से	4.30	2.00	2.30	राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की परियोजनाओं के लिए कम लागत की स्वीकृति के कारण।
29.	2401-800-40-01 कृषि विभाग के माध्यम से	3.40	1.49	1.91	पूछे जाने पर भी विभाग द्वारा कारण नहीं बताए गए (अक्टूबर 2021)।
30.	2415-01-004-01 स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को सहायता अनुदान	6.50	3.98	2.52	पूछे जाने पर भी विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को कारण नहीं बताए गए (अक्टूबर 2021)।
31.	2415-01-277-01-01 स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को सहायता अनुदान	5.85	1.92	3.93	पूछे जाने पर भी विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को कारण नहीं बताए गए (अक्टूबर 2021)।
32.	2415-01-277-01-03 श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को सहायता अनुदान	33.62	15.83	17.79	निर्माण कार्यों का कम निष्पादन के कारण।
33.	2415-01-277-01-05 कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को सहायता अनुदान	25.83	23.48	2.35	पूछे जाने पर भी विभाग द्वारा कारण नहीं बताए गए (अक्टूबर 2021)।
34.	2415-01-277-01-07 महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर- प्रतिबद्ध	74.00	64.00	10.00	महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने के कारण।
35.	2415-01-277-01-08 श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर - प्रतिबद्ध	48.50	42.00	6.50	वित्त विभाग के मितव्ययिता के दिशा निर्देशों के कारण रिक्त पदों को नहीं भरना।
36.	2415-01-277-01-09 कृषि विश्वविद्यालय, कोटा - प्रतिबद्ध	16.00	9.00	7.00	पूछे जाने पर भी विभाग द्वारा कारण नहीं बताए गए (अक्टूबर 2021)।
37.	4401-800-02-01 भवन	4.00	1.10	2.90	कोविड-19 के कारण बजट प्रावधान कम कर दिया गया है।
38.	6401-800-10-01 कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) उदयपुर को ऋण	25.50	15.00	10.50	कुछ निर्माण कार्यों के आंशिक रूप से ध्वस्त होने एवं निर्माण कार्यों के कोविड -19 से बाधित होने के कारण।
योग		1,232.75	780.85	451.90	

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ अनुच्छेद 4.5; पृष्ठ 132)

वर्ष 2020-21 तक के बकाया आकरिमक बिलों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नियंत्रण अधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष/एसी बिल संख्या	वर्ष	आहरण एवं वितरण अधिकारी	राशि
1	जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर	2202 (3)	1989-90	प्राचार्य, डाईट, बीकानेर	0.30
2	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जालौर		1990-91	सहायक निदेशक, डाईट, जालौर	0.30
3	निदेशक, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, राजसमन्द		1996-97	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द	0.08
4	जिला परिषद, बाँसवाड़ा	4202 (2)	1990-91	जिला परिषद, बाँसवाड़ा	0.30
			1992-93		0.24
5	सचिव, राजस्थान सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर	2052 (1)	2019-20	आहरण एवं संवितरण अधिकारी कलेक्ट्रेट, जयपुर	1.50
6	पंजीयक, राजस्व मंडल, अजमेर	2029 (1)	2007-08	अजमेर 089002	292.18
7	निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	2055 (3)	2017-18	उप-निदेशक (लेखा)	66.50
			2018-19	विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस राज. जयपुर	423.37
8	मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), राजस्थान जयपुर	2059 (1)	2020-21	अधिसासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग (सर्वे एवं गुणवत्ता नियंत्रण), उदयपुर	0.20
9	निदेशक, एनसीसी निदेशालय, जयपुर	2204 (7)	2018-19	प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसी मुख्यालय, जयपुर	2.64
			2019-20	प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसी मुख्यालय, जयपुर	10.00
				कमांड अधिकारी-III, राज. नेवल यूनिट एन सी सी जयपुर	0.37
			2020-21	कमांड अधिकारी-I, राज. आर्म्ड स्कवाड्रन एन सी सी जयपुर	0.62
				कमान्डेंट 1 राज. बटालियन एन सी सी जयपुर	0.26
प्रशासनिक अधिकारी, एन सी सी मुख्यालय, जयपुर	5.27				
10	प्राचार्य, सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर	4210 (3)	2020-21	आहरण एवं संवितरण अधिकारी सवाई मान सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	834.00
11	जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर	2217 (21)	2019-20	जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर	6.00
			2020-21	जिला निर्वाचन अधिकारी, करौली	9.87
				जिला निर्वाचन अधिकारी, श्री गंगानगर	1.00
				जिला निर्वाचन अधिकारी, बूंदी	54.76
				जिला निर्वाचन अधिकारी, डूंगरपुर	9.11
				जिला निर्वाचन अधिकारी, चूरु	14.00
				जिला निर्वाचन अधिकारी, राजसमन्द	1.25
				आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कलेक्ट्रेट (निर्वाचन), जयपुर	0.50
			2020-21	जिला निर्वाचन अधिकारी, सिरोही	0.78
जिला निर्वाचन अधिकारी, बूंदी	7.08				
12	आयुक्त, राहत विभाग, जयपुर	2245 (1)	2012-13	जिलाधीश एवं कलेक्टर, अलवर	103.50
13	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर	2051 (2)	2016-17	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	2.00
			2020-21	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	12.10
	योग	48			1,860.08

परिशिष्ट-4.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.6.5; पृष्ठ 140)

वर्ष 2016-21 के दौरान अप्रचलित रहे पीडी खातों का व्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	वर्ष 2016-21 के दौरान शेष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बताये गए कारण
1	पुलिस अधीक्षक, अजमेर	3.87	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
2	प्राचार्य, आईटीआई, रैनी, अलवर	1.64	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
3	उप-निदेशक, आईसीडीएस एवं परियोजना निदेशक (बाल विकास), अलवर	22.33	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
4	कृषि अधिकारी उद्यान, बारां	2.91	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
5	नये मोटर वाहन अग्रिम ओ बी सी, बारां	0.03	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
6	अधीक्षक आईटीआई, भरतपुर	7.80	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
7	जिला महिला विकास अधिकारी, चूरू	1.66	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
8	उप-निदेशक, कृषि विस्तार, धौलपुर	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
9	भवन निर्माण अग्रिम, एस बी बी जे, झुंजरपुर	1.22	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
10	भारतीय जीवन बीमा निगम, जयपुर (शहर)	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
11	प्राचार्य, आईटीआई, केन्द्रीय कारागार, जयपुर (शहर)	2.60	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
12	31.03.2004 तक एसबीबीजे जयपुर (शहर) को भवन ऋण का पुनर्भुगतान	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
13	एच डी एफ सी, जयपुर (शहर) को भवन निर्माण अग्रिम का पुनर्भुगतान	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
14	एसबीबीजे जयपुर (शहर) को भवन निर्माण अग्रिम का पुनर्भुगतान	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
15	आईटीआई, सांभर लेक, जयपुर (ग्रामीण)	1.82	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
16	निदेशक, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च, जयपुर (सचिवालय)	0.00	पी डी खाता बंद किया जा चुका है।
17	राजस्थान एक्स-सर्विस, जयपुर (सचिवालय)	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
18	राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर, भरतपुर, जयपुर (सचिवालय)	29.45	पी डी खाता बंद किया जा चुका है।
19	राजस्थान सहा. जयपुर (सचिवालय)	6.24	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
20	राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, जयपुर (सचिवालय)	0.00	पी डी खाता बंद किया जा चुका है।
21	सहायक निदेशक, एनिमल फर्टिलिटी सेंटर डग, झालावाड़	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
22	उप-निदेशक, परियोजना निदेशक, आईसीडीएस, झुंझुनु	0.00	पी डी खाता बंद किया जा चुका है।
23	प्राचार्य कृषि, भू-संरक्षण, जोधपुर (शहर)	5.59	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
24	अधीक्षक, जिला ग्रामीण आईटीआई, कोटा	0.19	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
25	क्षेत्रीय स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण एवं समन्वय, कोटा	0.09	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
26	कोषाधिकारी, मोटर वाहन अग्रिम की वसूली एसबीबीजे, नागौर	0.60	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
27	सहायक निदेशक, कैटल ब्रीडिंग सेंटर, नागौर	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
28	अधिकांसी अभियंता, सिंचाई/जल संशाधन, पाली	23.55	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
29	उप-निदेशक (आईसीडीएस), जिला महिला विकास एजेंसी, पाली	0.00	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
30	सचिव, नगर विकास न्यास, पाली	0.40	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
31	माधव यूनिवर्सिटी पिण्डवाडा, सिरोही	0.05	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
32	अधिकांसी अभियंता, सिंचाई स्ड सलूमबर, उदयपुर (ग्रामीण)	51.98	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
33	भवन निर्माण अग्रिम, एसबीबीजे, जोधपुर (ग्रामीण)	0.03	विभाग द्वारा अवगत नहीं कराया गया।
	योग	164.05	

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ अनुच्छेद 4.7; पृष्ठ 141)

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
1.	2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर	912.38	1375.45	66.33
2.	2047 अन्य राजकोषीय सेवाएँ	4.27	4.27	100.00
3	2700 वृहत सिंचाई	1,172.44	1,615.05	72.59
4	2701 मध्यम सिंचाई	127.44	209.02	60.97
5	2702 लघु सिंचाई	78.82	152.94	51.54
6	3055 सड़क परिवहन	273.10	393.26	69.45
7	3425 अन्य परिवहन सेवाएँ	12.94	13.01	99.46
8	4235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	12.42	14.58	85.19
9	4236 पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	3.56	4.87	73.10
10	4401 फ़सल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय	107.94	161.44	66.86
11	4575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	42.06	66.73	63.03
12	4885 उद्योग एवं स्वनिर्जों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	25.14	49.69	50.59
13	5425 अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय शोध पर पूंजीगत परिव्यय	0.28	0.28	100.00
14	5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	200.27	270.12	74.14
	योग	2,973.06	4,330.71	

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशत
1	0029 भू-राजस्व	169.19	279.32	60.57
2	0035 कृषि भूमि के अतिरिक्त स्थायी सम्पत्ति पर कर	62.71	62.96	99.60
3	0056 कारागार	0.59	0.59	100.00
4	0058 स्टेशनरी एवं मुद्रण	3.87	6.10	63.44
5	0211 परिवार कल्याण	0.13	0.13	100.00

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशत
6	0217 शहरी विकास	3.93	3.93	100.00
7	0220 सूचना एवं प्रचार-प्रसार	0.21	0.21	100.00
8	0230 श्रम एवं नियोजन	374.98	392.96	95.42
9	0235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	25.11	25.13	99.92
10	0401 फसल कृषिकर्म	10.40	10.47	99.33
11	0406 वन एवं वन्य जीवन	41.04	73.67	55.71
12	0425 समन्वय	91.37	95.75	95.43
13	0435 अन्य कृषि कार्यक्रम	11.01	11.24	97.95
14	0515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	24.10	25.04	96.25
15	0700 मुख्य सिंचाई	157.36	215.62	72.98
16	0801 विद्युत	30.71	30.71	100.00
17	0851 ग्राम एवं लघु उद्योग	3.55	3.55	100.00
18	0852 उद्योग	0.75	0.75	100.00
19	1452 पर्यटन	0.64	0.64	100.00
20	1475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	513.72	805.34	63.79
	योग	1,525.37	2,044.11	

परिशिष्ट-4.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.13; पृष्ठ 147)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पूंजी निवेश के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	कुल प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ/ हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2020-21 के अनुसार)
1	राजस्थान राज्य स्ननन एवं स्निज लिमिटेड (दिसम्बर 1974 से सरकारी कम्पनी)	2019-20	77.55	2,182.76	0	77.55
2	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड	2019-20	210.19	1,932.92	0	193.69
3	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2020-21	100.00	142.98	0	100.00
4	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2019-20	180.39	211.62	0	180.59
5	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	21.95	(141.56)	0	21.95
6	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड	2016-17	2.16	(9.74)	0	2.16
7	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	46.06	(-) 50.53	(-) 4.47	45.51
8	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2019-20	6.96	(-) 25.12	(-) 18.16	6.64
9	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	2019-20	2.00	72.48	0	2.00
10	बाड़मेर लिग्नाईट स्ननन कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य स्नान एवं स्निज लिमिटेड की सहायक संयुक्त कम्पनी)	2019-20	20.00	1.68	0	0
11	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य स्ननन एवं स्निज लिमिटेड की सहायक)	2019-20	67.08	(-) 1.67	0	0
12	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2019-20	4,656.57	(-) 1,231.88	0	4,691.04
13	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2020-21	10,444.30	(-) 5,507.05	0	10,451.23
14	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	11,447.43	(-) 28,872.34	(-) 17,424.91	11,447.43
15	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	10,452.96	(-) 28,054.76	(-) 17,601.80	10,571.89
16	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	10,487.99	(-) 31,496.60	(-) 21,008.01	10,636.96
17	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2019-20	12.94	225.24	0	12.94
18	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2020-21	0.05	(-) 0.05	0	0

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	कुल प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ/ हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2020-21 के अनुसार)
19	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2020-21	370.05	(-) 1,542.82	(-)1,172.77	0
20	छबड़ा पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2020-21	0.05	(-) 0.04	0	0
21	राजस्थान सोलर पार्क विकास कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की सहायक)	2019-20	0.05	29.64	0	0
22	बांसवाड़ा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2020-21	0.05	(-) 9.92	(-) 9.87	0
23	बाड़मेर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2020-21	0.05	(-) 18.91	(-) 18.86	0
24	राजकाम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	5.00	91.15	0	5.00
25	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2020-21	1.27	(-) 1.43	(-) 0.16	1.27
26	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवाएँ निगम लिमिटेड	2020-21	90.00	18.65	0	90.00
27	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की सहायक)	2019-20	129.87	8.33	0	0
28	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2020-21	50.00	0.00	0	50.00
29	राजस्थान वित्त निगम	2019-20	160.43	(-) 114.69	0	128.31
30	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2019-20	638.96	(-) 5,127.40	(-) 4,488.44	612.13
31	राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड	2018-19	48.67	25.37	0	33.51
32	जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2019-20	1,694.04	(-) 328.19	0	1,494.04
33	राजस्थान पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2020-21	5.00	26.25	0	5.00
34	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2019-20	5.00	51.73	0	5.00
35	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2020-21	0.05	(-) 13.05	(-) 13.00	0.05
36	राजस्थान राज्य स्वाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016-17	50.00	36.73	0	50.00
37	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2020-21	7.59	140.42	0	6.33

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	कुल प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ/ हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2020-21 के अनुसार)
38	राजस्थान राज्य एग्री इन्डस्ट्रीज निगम लिमिटेड	2014-15	6.01	(-) 54.67	(-) 48.66	4.13
39	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2019-20	7.85	337.27	0	3.93
40	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2019-20	1.00	3.70	0	1.00
41	राजस्थान नागरिक विमानन निगम लिमिटेड	2019-20	4.49	(-) 6.31	(-) 1.82	4.49
42	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	200.00	(-) 0.12	0	100.00
43	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	200.00	8.23	0	65.40
44	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	0	0	0	64.80
45	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	200.00	4.45	0	100.00
	योग		52,112.06	(-)96,905.95	(-) 61,810.93	51,265.97

परिशिष्ट-4.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.14; पृष्ठ 149)

विभिन्न विभागों में श्रेणीवार चोरी/हानि और दुर्विनियोजन के मामलों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	चोरी/हानि के प्रकरण		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राजस्व	26	128.87	29	1132.87	55	1261.74
2.	शिक्षा	87	141.00	66	4,879.52	153	5,020.52
3.	चिकित्सा	23	251.56	46	470.26	69	721.82
4.	सार्वजनिक निर्माण	03	1.41	16	462.33	19	463.74
5.	जल संसाधन	02	0.62	02	33.95	04	34.57
6.	भू-जल	05	6.18	02	3.40	07	9.58
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	01	3.42	00	00	01	3.42
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	06	12.56	05	69.73	11	82.29
9.	वन	03	26.43	02	77.32	05	103.75
10	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	199	198.94	16	80.42	215	279.36
11	न्याय	04	1.67	10	118.92	14	120.59
12	पुलिस	14	16.27	06	27.85	20	44.12
13	महिला एवं बाल विकास	00	00	03	6.04	03	6.04
14	स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान	02	4.61	06	40.67	08	45.28
15	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	63	1,109.30	56	1,426.50	119	2,535.80
16	विविध	23	118.69	37	979.19	60	1097.88
	योग	461	2,021.53	302	9,808.97	763	11,830.50

परिशिष्ट-4.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.15; पृष्ठ 150)

पेंशन के अधिक/कम भुगतान का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	2020-21 के दौरान किये अधिक भुगतान	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	निर्धारित अवधि के समाप्त होने के पश्चात भी पारिवारिक पेंशन कम नहीं होना (राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 62)	04	2.16
2.	रूपान्तरण के पश्चात भी पेंशन कम नहीं होना (नियम 28)	67	13.75
3.	पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात भी पेंशन का भुगतान	07	6.44
4.	पेंशन और मंहगाई राहत का स्वीकार्य दर से अधिक दर पर भुगतान किया जाना	6	21.02
5.	ग्रेच्युटी भुगतान से बकाया की वसूली न होना	32	24.09
6.	विविध (अतिरिक्त पेंशन, एकमुश्त वसूली का अभाव आदि)	30	27.03
	योग	146	94.49